संख्या- 28/2019 / 358 /71-1-2019-जी-271/2016

प्रेषक

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 25 फरवरी, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत महानिदेशालय में विभिन्न आवश्यक कार्यो हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/745, दिनॉक 31-01-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में निदेशन तथा प्रशासन हेतु मानक मद-09-विद्युत देय में रू0 15.00 लाख तथा इन्सेन्टिव योजना के अन्तर्गत असेवित मण्डल में स्थापित होने वाले निजी मेडिकल कालेजों को सहायता में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में रू0 37.90 लाख कुल रू0 52.90 लाख (रू0 बावन लाख नब्बे हजार मात्र) की बचत को महानिदेशालय में विभिन्न आवश्यक कार्यो हेतु मानक मद-08-कार्यालय व्यय में रू0 8.90 लाख, 11-लेखन सामग्री में रू0 10.00 लाख, 15-मोटर गाडियों का अनुरक्षण में रू0 15.00 लाख, 42-अन्य व्यय में रू0 12.00 लाख तथा 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण में रू0 7.00 लाख कुल रू0 52.90 लाख (रू0 बावन लाख नब्बे हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग वित्तीय वर्ष 2018-19 में नहीं की जाएगी।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशन-08-कार्यालय व्यय-11-लेखन सामग्री-15-मोटर गाडियों का अनुरक्षण-42-अन्य व्यय-47-कम्प्यूटर अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-243/दस-2019, दिनॉक 21 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

25/02/19

(मुकेश कुमार मेश्राम)

सचिव

संख्या:- 20/2019 / 358 (1)/71-1-2019 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)

संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–9(1) (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या–31–चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	वित्तीय वर्ष 2018–19		प्रपत्र–बी0एम0–9	(रू0 लाख में)
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–~~105–एलोपैथी~~–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–निदेशन–					
09–विद्युत देय–	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00
योग–	**15.00**	**15.00**	**15.00**	**15.00**	**0.00**
105–एलोपैथी–03–शिक्षा–18–इन्सेन्टिव योजना के अन्तर्ग असेवित मण्डल में स्थापित होने वाली निजी मेडिकल कालेजों की स्थापना–					
20–सहायता अनुदान (गैर वेतन)	100.00	37.90	37.90	37.90	62.10
योग–	**100.00**	**37.90**	**37.90**	**37.90**	**62.10**
योग–	**115.00**	**52.90**	**52.90**	**52.90**	**62.10**
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–~~105–एलोपैथी~~–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–निदेशन–					
08–कार्यालय व्यय	4.62	13.52	8.90	8.90	13.52
11–लेखन सामग्री	3.46	13.46	10.00	10.00	13.46
15–मोटर गाडियों का अनुरक्षण	8.00	23.00	15.00	15.00	23.00
42–अन्य व्यय	0.25	12.25	12.00	12.00	12.25
47–कम्पयूटर अनुरक्षण	5.00	12.00	7.00	7.00	12.00
योग–	**21.33**	**74.23**	**52.90**	**52.90**	**74.23**

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में निदेशन में मानक मद–09–विद्युत देय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 15.00 लाख, राजकीय मेडिकल कालेजों में गहन चिकित्सा कक्ष (आई0सी0यू0) की स्थापना में मानक मद–20–सहायता अनुदान (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 37.90 लाख, कुल धनराशि रू0 52.90 लाख की बचत संभावित है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

महानिदेशालय में लम्बित बिलों के भुगतान एवं अन्य कार्यो हेतु मानक मद–08–कार्यालय व्यय में रू0 8.90 लाख, मानक मद–11–लेखन सामग्री में रू0 10.00 लाख, मानक मद–15–मोटर गाडियों का अनुरक्षण में रू0 15.00 लाख, मानक मद–42–अन्य व्यय मे रू0 12.00 लाख तथा मानक मद–47–कम्पयूटर अनुरक्षण में रू0 7.00 लाख, कुल धनराशि रू0 52.90 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या–417-ई-3/ दिनांक– 21 फरवरी, 2019

सेवा में,

महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

(शंकेश्वर त्रिपाठी)
विशेष सचिव
वित्त विभाग

(पवित्र कुमार)
उप सचिव
वित्त विभाग

(शंकेश्वर त्रिपाठी)
विशेष सचिव
वित्त विभाग

संख्या–28/2019 /359 /71–1–2019–जी–271/2016.,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– संबंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)
5– गार्ड फाइल।

(अनिल कुमार),
संयुक्त सचिव